allowed temporary and *ad hoc* increases and relief in pension from time to time. With effect from 1st April, 1958 the rate of temporary increase in pensions of Rs. 10 to Rs. 12.50 was allowed to those in receipt of pension not exceeding Rs. 100/-. An *ad hoc* increase of upto Rs. 10 per month in pension was allowed on pension not exceeding Rs. 200/- with effect from 1st October, 1963; this was increased by another Rs. 10/ per month from 1st September, 1969. Besides, with effect from 1st January, 1973 such pensioners have also been allowed *ad hoc* relief ranging from Rs. 15/- to Rs. 35 p.m. depending on the amount of pension. In addition to all these, these pensioners have been allowed graded relief @ 35 per cent of pension subject to minimum of Rs. 35 and maximum of Rs. 175/- per month.

Though requests have been received from individual pensioners as well as pensioners' organisations there is at present no proposal to bring pre—1st January, 1973 retirees on the enhanced rate of pension introduced on the recommendations of the Third Pay Commission.

बैंकों में काम कर रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिशतता

5818. **श्री किरंगी प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्य कर रहे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कुल कर्मचारियों में अ० जा० तथा अ० जन० जा० के कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि चतुर्थ श्रेणी में अ० जा० का आरक्षित कोटा न भरने के विचार से बैंक अधिकारी अस्थायी रिक्त स्थानों पर हरिजनों के अतिरिक्त अन्य जातियों के लोगों को उन्हें अनुभव प्राप्त होने में सहायता करने तथा बाद में इस आधार पर नियुक्त कर लेने कि उन्हें अनुभव प्राप्त है, ले रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस पद्धति को बन्द कराने के उद्देश्य से अस्थायी तथा अन्य स्थानों पर हरिजनों को नियुक्त करके आरक्षित कोटा भरा जायेगा ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों का वर्गीकरण अधिकारियों, क्लर्कों और अधीनस्थ कर्मचारियों में किया गया है। 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के प्रतिशत की 31-12-1977 की स्थिति नीचे दी गई है :—

	अधिकारी	क्लर्क	अधीनस्थ कर्मचारी
14 राष्ट्रीयकृत बैंक	1.78	11.72	18.90
भारतीय स्टेट बैंक	1.10	10.66	21.27

(ख) से (घ). सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधीनस्थ कर्मचारियों की भरती स्थानीय आधार पर की जाती है। कुछ बैंक रोजगार कार्यालयों से उम्मीदवार बुलाकर अस्थायी रिक्त पदों को भरते हैं किन्तु कुछ बैंक तत्काल उपलब्ध उम्मीदवारों को बुलाकर अस्थायी रिक्त पदों को भर लेते हैं। जब कभी पद खाली होते हैं तो स्थायी नियुक्तियों के लिए इन अस्थायी कर्मचारियों के बारे में विचार किया जाता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षित कोटा भरने के लिए बैंकों से कहा गया है कि अस्थायी रिक्त पदों पर भी इन्हीं जातियों के उम्मीदवार भरती

करें तथा बैंकों ने सूचित किया है कि तदनुसार वे सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं।

Realisation of outstanding amount of L.I.C.

8519. PANDIT D. N. TIWARY: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 353 of 17th March, 1978 regarding steps taken to realise outstanding amount and state:

(a) whether any step has been taken by L.I.C. to realise Rs. 3,75,000 outstanding with Shri Chattu Ram Bhadani; and

(b) if so, the results thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). The balance of dues of Rs. 3,75,000 (as on 31st December, 1977) after purchase of the property at Jhumritalaiya is to be recovered from Shri Chattu Ram Bhadani on the strength of a personal decree passed by the Bombay High Court. According to LIC, execution proceedings for realisation of its dues were taken and several properties of Shri Bhadani were got attached by the Court in pursuance of the personal decree. Sale proclamation has been issued and the Court would move further in the matter of valuation of the properties after service of sale proclamation and after hearing the opposite party.

हिन्दी टाईपिंग तथा स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षित टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफरों की संख्या

8520. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय विभाग में हिन्दी टाइपिंग तथा स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षित किये गये टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफरों का पूरा प्रयोग केवल हिन्दी कार्य के लिये किया जाता है ;

(ग) ऐसे टाइपिस्ट तथा स्टेनोग्राफरों की सेवा का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उनका उपयोग करने के लिये कोई योजना बनाई है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) :

(क) टंकक : 20
आशुलिपिक : 17

(ख) टंकक : 6
आशुलिपिक : 3

(ग) और (घ) हिन्दी टाइप और आशुलिपि में प्रशिक्षित क्रमशः शेष टंककों तथा आशुलिपिकों की सेवाओं का उपयोग आवश्यकता होने पर हिन्दी के काम के लिए आंशिक रूप से किया जाता है। उनकी सेवाओं को उपयोग में लाने के लिए योजना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, सरकारी कामकाज में हिन्दी का धीरे-धीरे उपयोग बढ़ने से उनकी सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग किया जायेगा।

जीवन बीमा निगम लखनऊ में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के ऊंचे ग्रेडों के असिस्टेंट

8521. **श्री राम लाल राही :** क्या **वित्त** मंत्री जीवन बीमा निगम, लखनऊ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऊंचे ग्रेडों के असिस्टेंट के बारे में 16 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4265